

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या : 03/01/के0यो0 (Drawing Limit)-23/2023.....9242

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक 15/12/2023

विषय :- PFMS के माध्यम से केन्द्रीय योजना Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) के अन्तर्गत विभिन्न अवयव में आवंटन/निधि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय पत्रांक 8796 दिनांक 06.11.2023, पत्रांक 8879 दिनांक 10.11.2023 एवं ई-ऑफिस पत्रांक- 95080/2023 दिनांक 12.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि केन्द्रीय योजना Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) के अन्तर्गत निम्न अवयव में आवंटन/निधि उपलब्ध कराया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	Integration of Aadhaar Number with the Land Records data base on volunatry basis हेतु आवंटित राशि	Computerization of Revenue Courts & Integration with Revenue Offices हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	अररिया	26,00,584.00	15,00,000.00	41,00,584.00
2	अरवल	3,73,885.00	9,00,000.00	12,73,885.00
3	औरंगाबाद	21,40,407.00	17,00,000.00	38,40,407.00
4	बांका	19,94,816.00	15,00,000.00	34,94,816.00
5	बेगूसराय	26,66,279.00	30,00,000.00	56,66,279.00
6	भागलपुर	25,20,972.00	25,00,000.00	50,20,972.00
7	भोजपुर (आरा)	17,97,644.00	22,00,000.00	39,97,644.00
8	बक्सर	11,61,203.00	17,00,000.00	28,61,203.00
9	दरभंगा	29,65,833.00	27,00,000.00	56,65,833.00
10	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	42,33,573.00	41,00,000.00	83,33,573.00
11	गया	25,24,196.00	35,00,000.00	60,24,196.00
12	गोपालगंज	21,88,456.00	20,00,000.00	41,88,456.00
13	जमुई	14,56,992.00	14,00,000.00	28,56,992.00
14	जहानाबाद	6,03,851.00	11,00,000.00	17,03,851.00
15	कैमूर (भभुआ)	12,89,705.00	17,00,000.00	29,89,705.00
16	कटिहार	32,13,419.00	24,00,000.00	56,13,419.00
17	खगड़िया	15,30,173.00	13,00,000.00	28,30,173.00
18	किशनगंज	16,87,885.00	11,00,000.00	27,87,885.00

क्र० सं०	जिला का नाम	Integration of Aadhaar Number with the Land Records data base on volunatry basis हेतु आवंटित राशि	Computerization of Revenue Courts & Integration with Revenue Offices हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
19	लखीसराय	9,74,547.00	11,00,000.00	20,74,547.00
20	मधेपुरा	14,86,841.00	19,00,000.00	33,86,841.00
21	मधुबनी	35,04,530.00	33,00,000.00	68,04,530.00
22	मुंगेर	11,23,823.00	18,00,000.00	29,23,823.00
23	मुजफ्फरपुर	45,76,649.00	23,00,000.00	68,76,649.00
24	नालन्दा	17,20,638.00	28,00,000.00	45,20,638.00
25	नवादा	16,29,095.00	20,00,000.00	36,29,095.00
26	पटना	34,64,885.00	38,00,000.00	72,64,885.00
27	पूर्णियाँ	33,48,178.00	25,00,000.00	58,48,178.00
28	रोहतास (सासाराम)	21,90,278.00	27,00,000.00	48,90,278.00
29	सहरसा	15,77,432.00	17,00,000.00	32,77,432.00
30	समस्तीपुर	31,92,280.00	30,00,000.00	61,92,280.00
31	सारण (छपरा)	32,75,413.00	29,00,000.00	61,75,413.00
32	शेखपुरा	6,48,551.00	10,00,000.00	16,48,551.00
33	शिवहर	6,58,409.00	9,00,000.00	15,58,409.00
34	सीतामढ़ी	29,36,617.00	25,00,000.00	54,36,617.00
35	सीवान	28,40,893.00	25,00,000.00	53,40,893.00
36	सुपौल	21,49,259.00	21,00,000.00	42,49,259.00
37	वैशाली	31,79,655.00	24,00,000.00	55,79,655.00
38	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	36,14,492.00	26,00,000.00	62,14,492.00
कुल योग :-		8,50,42,338.00	8,21,00,000.00	16,71,42,338.00

- उपरोक्त आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय केन्द्रीय प्रणाली PFMS के अन्तर्गत REAT Module के अन्तर्गत किया जायेगा।
- निदेशालय पत्रांक 8879 दिनांक 10.11.2023 के आलोक में PFMS के माध्यम से प्रत्येक जिलों को राशि 1.00 करोड़ रुपये मात्र इस वित्तीय वर्ष के लिए Drawing Limit निर्धारित किया गया है।
- उपरोक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
- कर्णांकित सामग्रियों की क्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमानुकूल किया जायेगा।
- निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जायेगा, जिसके लिए मंजूरी दी गई है। निधियों का परिवर्तन (Diversion) नहीं किया जायेगा।
- जिलों से अनुरोध है कि वित्तीय प्रगति एवं उपयोगित प्रमाण-पत्र अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण अनियमित निकासी होती है। इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा इसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रख सके।।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/01/के0यो0 (Drawing Limit)-23/2023...9242... पटना, दिनांक : 15/12/2023

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/01/के0यो0 (Drawing Limit)-23/2023...9242... पटना, दिनांक : 15/12/2023

प्रतिलिपि : सचिव/अवर सचिव, भूमि संसाधान विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/01/के0यो0 (Drawing Limit)-23/2023...9242... पटना, दिनांक : 15/12/2023

प्रतिलिपि : बजट प्रभारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/01/के0यो0 (Drawing Limit)-23/2023...9242... पटना, दिनांक : 15/12/2023

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/01/के0यो0 (Drawing Limit)-23/2023...9242... पटना, दिनांक : 15/12/2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण